



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 चैत्र 1939 (श10)

(सं० पटना 252) पटना, वृहस्पतिवार, 30 मार्च 2017

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

27 मार्च 2017

सं० 2/वन्यप्राणी-14/16-188 (ई०)/प०व०—जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा- 63 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017

1. संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ ।— (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम “बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017” कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगी जो राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित की जाय।

2. परिभाषायें — इस नियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो —

(1) “अधिनियम” से अभिप्रेत है जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18);

(2) “प्राधिकरण” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण;

(3) “पर्षद” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-22 के अधीन स्थापित बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद;

(4) “समिति” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-41 के अधीन स्थापित निकायों द्वारा स्थापित जैव विविधता प्रबंधन समिति;

(5) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद का अध्यक्ष;

(6) “फीस” से अभिप्रेत है इन नियमों में नियत की गई फीस;

(7) “प्रपत्र” से अभिप्रेत है इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र;

(8) “सरकार” से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(9) “सदस्य” से अभिप्रेत है राज्य जैव विविधता पर्षद का सदस्य जिसमें अध्यक्ष शामिल हैं;

(10) “सचिव” से अभिप्रेत है पर्षद का सचिव;

(11) “धारा” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

उन जिनका इन नियमों में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके प्रति समनुदेशित किए गए हों।

3. बिहार राज्य जैव-विविधता पर्षद का गठन। पर्षद निम्नलिखित सदस्य से गठित होगा:—

- (क) अध्यक्ष;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होने वाले पाँच से अनधिक पदेन सदस्य;
- (ग) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होने वाले जैव विविधता में विशेषज्ञों में से पाँच से अनधिक सदस्य।

4. अध्यक्ष के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया:—

- (1) पर्षद के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
- (2) अधिनियम की धारा-22 (4) (a) के अनुसार इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा या तो प्रतिनियुक्ति पर अथवा चयन द्वारा की जायेगी। परन्तु यदि नियुक्ति प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाती है तो ऐसा अभ्यर्थी प्रधान सचिव, बिहार, सरकार से अन्यून पंक्ति का होगा।
- (3) सरकारी सेवा से बाहर के किसी व्यक्ति की अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा की जायेगी जिसके सदस्य प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार होंगे।

5. अध्यक्ष की पदावधि।—(1) पर्षद के अध्यक्ष तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारित करेंगे एवं पुनर्नियोजन के लिए पात्र होंगे।

परन्तु कोई भी व्यक्ति 65 वर्षों की आयु अथवा उसके कार्यकाल की समाप्ति जो पहले हो, के उपरांत अध्यक्ष का पद धारण नहीं करेगा।

- (2) राज्य सरकार को कम से कम एक माह की पूर्व लिखित सूचना देकर अध्यक्ष अपना पद त्याग कर सकेगा।

6. अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते।— अध्यक्ष ऐसे वेतन, भत्ते, अवकाश, पेंशन, भविष्य निधि, मकान भत्ता तथा अन्य परिलब्धियों के हकदार होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, विनिश्चित किए जाय।

7. गैर-सरकारी सदस्यों का मनोनयन, पदावधि और भत्ते। —

- (1) राज्य सरकार अधिनियम की धारा-22 (4) (a) के अनुसार संबंधित विषयों में विशेषज्ञीय जानकारी एवं अनुभव रखने वाले 5 से अनधिक गैर-सरकारी सदस्यों को नामित कर सकेगी।
- (2) पर्षद का प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य अपने नामांकन की तिथि से एक समय तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए पद धारित करेगा।
- (3) बैठक में भाग लेने वाले गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक भत्ते, यात्रा व्यय, दैनिक भत्ते आदि ऐसे दर पर भुगतये होंगे जैसा राज्य सरकार निर्धारित करे।

8. गैर सरकारी सदस्य की रिक्तियों का भरा जाना।—

- (1) पर्षद का कोई गैर सरकारी सदस्य किसी भी समय, राज्य सरकार को लिखित में अपने हस्ताक्षर से संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा तथा पर्षद में उस सदस्य का पद रिक्त हो जायेगा।
- (2) पर्षद में गैर सरकारी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति नये नामांकन द्वारा भरी जायेगी तथा रिक्ति को भरने के लिये नामांकित व्यक्ति, उस सदस्य की, जिसके स्थान पर उसे नामांकित किया गया है, की शेष पदावधि के लिये ही पद धारण करेगा।

9. पर्षद के सदस्यों को हटाया जाना। —

पर्षद के किसी सदस्य को, अधिनियम की धारा-11 में विनिर्दिष्ट किन्हीं आधारों पर, राज्य सरकार द्वारा कारण पृच्छा किए जाने और सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के उपरांत हटाया जा सकेगा।

10. पर्षद के पदेन सदस्यों की नियुक्ति।—राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों/संगठनों से पांच से अनधिक पदेन सदस्य, जब तक कि वे अपना पद धारण करेंगे, नियुक्त किये जायेंगे :-

- (1) कृषि विभाग, बिहार, (प्रधान सचिव/सचिव)
- (2) पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार (प्रधान सचिव/सचिव)
- (3) पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार (प्रधान सचिव/सचिव)
- (4) जल संसाधन विभाग, बिहार (प्रधान सचिव/सचिव)
- (5) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच०ओ०एफ०एफ०), बिहार

परन्तु यह कि पदेन सदस्य अपने किसी वैसे अधीनस्थ पदाधिकारी को बैठक में भाग लेने के लिए नामित कर सकेंगे जो संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का होगा।

11. सचिव।- पर्षद का सचिव, वन संरक्षक से अन्यून स्तर का पदाधिकारी होगा जिसे राज्य सरकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर सकेगी।

12. पर्षद का मुख्यालय।- पर्षद का मुख्यालय पटना में होगा।

13. पर्षद के सचिव का कार्य एवं दायित्व। -

- (1) सचिव, पर्षद के अध्यक्ष के मार्गदर्शन के अधीन, निधियों के प्रबंधन तथा विभिन्न क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होगा।
- (2) पर्षद द्वारा जारी किये जाने वाले सभी आदेश या अनुदेश सचिव या पर्षद द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से होंगे।
- (3) सचिव या तो स्वयं या इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से पर्षद की स्वीकृति प्राप्त कर अनुमोदित बजट में से सभी भुगतानों को स्वीकृत तथा संवितरित कर सकेगा।
- (4) सचिव को, पर्षद के बजट में सम्मिलित प्राककलनों पर तकनीकी स्वीकृति देने की शक्ति होगी।
- (5) सचिव, पर्षद के सभी गोपनीय कागज-पत्रों का प्रभारी होगा तथा उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा; जब कभी भी पर्षद/राज्य सरकार द्वारा इस हेतु निर्देशित किया जाये, वह वांछित कागज-पत्र प्रस्तुत करेगा।
- (6) सचिव, पर्षद के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों का गोपनीय प्रतिवेदन लिखेगा तथा उन्हें संधारित करेगा एवं उन्हें अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवायेगा।
- (7) सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि उसे पर्षद द्वारा, समय-समय पर, प्रत्यायोजित किये जायें।

14. पर्षद की बैठक।-

- (1) पर्षद की बैठक, पर्षद के मुख्यालय या ऐसे अन्य स्थान पर होगी जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय। बैठक एक वर्ष में सामान्यतः तीन मास की अवधि के उपरांत प्रति वर्ष कम से कम चार बार होंगी।
- (2) अध्यक्ष, पर्षद के कम से कम पांच सदस्यों के अनुरोध पर या राज्य सरकार के निर्देश पर, पर्षद की विशेष बैठक बुलायेगा।
- (3) साधारण बैठक की पन्द्रह दिन की सूचना तथा विशेष बैठक की तीन दिन की सूचना, प्रयोजन, समय तथा स्थान जिस पर ऐसी बैठक किया जाना है, विनिर्दिष्ट करते हुये सदस्यों को दी जायेगी।
- (4) प्रत्येक बैठक का संचालन, अध्यक्ष द्वारा तथा उनकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये गये पीठासीन अधिकारी द्वारा की जायेगी।
- (5) किसी बैठक में पर्षद का निर्णय, यदि आवश्यक हो तो, उपस्थित सदस्यों के मतदान से सामान्य बहुमत के आधार से लिया जायेगा और अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में संचालन करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
- (6) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।
- (7) पर्षद के प्रत्येक बैठक की गणपूर्ति पांच सदस्यों की उपस्थिति से होगी जिसमें अध्यक्ष अथवा पीठासीन पदाधिकारी सम्मिलित होंगे।
- (8) कोई भी सदस्य किसी मामले को जिसकी उसने दस दिन की सूचना न दी हो बैठक में विचारण के लिये लाने का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि अध्यक्ष स्वविवेक से उसे ऐसा करने की अनुमति न दें।
- (9) सदस्यों को बैठक की सूचना, उसके अंतिम ज्ञात निवास या कार्य के स्थान पर संदेशवाहक द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या ई-मेल द्वारा भेजकर या किसी ऐसी अन्य रीति से जैसी कि पर्षद का सचिव मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, दी जा सकेगी।
- (10) इसके अतिरिक्त, पर्षद उसके कार्यों के संचालन के लिये ऐसी अन्य प्रक्रिया बना सकेगा, जैसी कि वह उपयुक्त तथा उचित समझे।

15. पर्षद द्वारा विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति तथा उनकी हकदारी। -

- (1) पर्षद ऐसे प्रयोजनों के लिये एवं उतनी संख्या में, जैसा कि वह उचित समझे, समितियों का गठन कर सकेगा जो पूर्णतः सदस्यों से या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों से या अंशतः सदस्यों से या अंशतः अन्य व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी।

- (2) पर्षद के सदस्यों से भिन्न, समिति के गैर सरकारी सदस्यों को, बैठक में उपस्थित होने के लिये ऐसी फीस तथा भत्तों का भुगतान किया जायेगा जैसा कि सरकार उचित समझे।

16. पर्षद के साधारण कृत्य।— विशेषतः अन्य प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पर्षद निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन कर सकेगा :-

- (1) अधिनियम की धारा-23 के अधीन प्रावधानित क्रियाकलापों को शासित करने के लिये प्रक्रिया तथा मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित करना;
- (2) आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसलों या अन्य जैव संसाधन, जैव विविधता के संरक्षण, उसके संघटकों के सतत उपयोग तथा जैविक स्त्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ के उचित और न्यायोचित हिस्सेदारी के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना;
- (3) भारतीय नागरिकों द्वारा किसी जैव संसाधन जिसमें आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जैव संसाधन सम्मिलित है, की वाणिज्यिक उपयोगिता या जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोगिता के लिये अनुरोधों को अनुमोदन प्रदान करना या अन्यथा विनियमित करना;
- (4) राज्य सरकार के विभागों एवं जैवविविधता प्रबंधन समितियों को तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;
- (5) राज्य जैव विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना का अद्यतीकरण तथा कार्यान्वयन को सुगम बनाना;
- (6) अध्ययन को प्रारंभ करना तथा अनुसंधान एवं शोध को प्रायोजित करना;
- (7) पर्षद के कृत्यों के प्रभावी निष्पादन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, सलाहकार नियुक्त करना:
परंतु किसी सलाहकार को तीन वर्ष की कालावधि से अधिक के लिए नियुक्त किया जाना आवश्यक तथा उचित हो तो पर्षद ऐसी नियुक्ति के लिये राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- (8) जैव विविधता के संरक्षण उसके संघटकों के सतत उपयोग तथा जैवीय संसाधनों तथा ज्ञान से उद्भूत लाभों के उचित और न्यायोचित हिस्सेदारी से संबंधित तकनीकी और सांख्यिकीय आंकड़े, निर्देशिका, संहितायें या मार्गदर्शन संग्रहित, संकलित तथा प्रकाशित करना;
- (9) जनसंपर्क के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण, उसके संघटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभों के उचित और न्यायोचित हिस्सेदारी से संबंधित एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित करना।
- (10) जैव विविधता संरक्षण और उसके संघटकों के सतत उपयोग के लिए कार्यक्रमों में नियोजित या नियोजित होने वाले कार्मिकों के लिये और प्रशिक्षण की योजना बनाना एवं उसका आयोजन करना।
- (11) प्रभावी प्रबंधन, संवर्धन तथा सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता संसाधनों तथा उससे संबंधित पारम्परिक ज्ञान के लिए जैव विविधता पंजी तथा इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस के माध्यम से, डाटा बेस तैयार करने तथा सूचना और अभिलेखन प्रणाली बनाने हेतु कदम उठाना
- (12) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये स्थानीय निकायों/जैव विविधता प्रबंधन समितियों को लिखित निर्देश देना।
- (13) पर्षद के कृत्यों तथा अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना;
- (14) अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ऐसी प्रक्रिया स्थापित करना जिसमें जैविक संसाधन तथा उससे संबंधित ज्ञान पर बौद्धिक संपदा अधिकार और ऐसी समुचित जानकारी की गोपनीयता बनाये रखे जाने की प्रणाली, तथा जन जैव विविधता पंजी में अभिलिखित सूचनाओं का संरक्षण सुनिश्चित करना भी सम्मिलित है;
- (15) समय-समय पर जैविक संसाधनों के संग्रहण के लिए शुल्क अनुशंसित/विहित करना तथा उसे संशोधित करना।
- (16) जैव विविधता प्रबंधन समितियों को विशिष्ट प्रयोजनों के लिये अनुदान तथा अनुदान सहायता स्वीकृत करना;
- (17) अधिनियम के प्रावधानों, कार्यान्वयन के संबंध में किसी क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण करना;
- (18) पर्षद की उसको स्वयं की प्राप्तियों तथा राज्य तथा केन्द्रीय सरकार से अन्तरण को समाविष्ट करते हुये, पर्षद का वार्षिक बजट तैयार करना:

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित उपबंधों के अनुसार संचालित किया जायेगा;

- (19) पर्षद को, समस्त प्राक्कलनों पर प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की पूर्ण शक्तियाँ होंगी; वह, तथापि, ऐसी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की शक्तियों, को जिसे कि आवश्यक समझा जाय, पर्षद के सदस्य सचिव को प्रत्यायोजित कर सकेगा;
- (20) पर्षद के कृत्यों के प्रभावकारी निर्वहन के लिये, राज्य सरकार को पदों के सृजन के लिये अनुशंसा करना:
परन्तु बिना राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के कोई स्थाई/अस्थायी पद या किसी अन्य प्रकृति का पद सृजित नहीं किया जायेगा।
- (21) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिये आवश्यक हों या जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर निदेशित अथवा दिये गये।
- (22) अचल तथा चल, दोनों प्रकार की सम्पत्ति को अर्जित, धारण तथा निष्पादन करना और उसके लिये संविदा करना।

17. अध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कर्तव्य। -

- (1) अध्यक्ष, यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार पर्षद के क्रियाकलाप दक्षतापूर्वक संचालित हो रहे हैं।
- (2) अध्यक्ष को, पर्षद के अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति होगी तथा वह पर्षद के क्रियाकलाप के संचालन और प्रबंधन के लिये आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगा।
- (3) अध्यक्ष, पर्षद की बैठकों को बुलायेगा तथा उनका संचालन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पर्षद द्वारा लिये गये सभी निर्णयों का उचित रीति से क्रियान्वयन हो रहा है।
- (4) अध्यक्ष, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो पर्षद द्वारा उसे समय-समय पर प्रत्यायोजित किये जायें।

18. पर्षद के पदाधिकारी/कर्मचारियों की सेवा-शर्तों का विनियमन। -

- (1) पर्षद के पदाधिकारी/कर्मचारियों की सेवा-शर्तें एवं वेतनमान राज्य सरकार के समकक्ष पदाधिकारी/कर्मचारी के सेवा-शर्तें एवं वेतनमान के समरूप होगा तथा नियुक्तियाँ सामान्यतः संविदा या प्रतिनियुक्ति के आधार पर होंगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा विनिश्चित न किया जाय।
- (2) पर्षद अपने पदाधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति की प्रक्रिया को विनिश्चित करेगा।

19. जैव संसाधनों तक पहुँच एवं/अथवा जैव संसाधनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा उनसे संबंधित पारम्परिक ज्ञान तक पहुँच। -

- (1) अनुसंधान के लिये या वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैव संसाधनों तथा उनसे संबंधित ज्ञान तक पहुँच/उनका संग्रहण चाहने वाला कोई व्यक्ति, अधिनियम की धारा-7 के परन्तुक में उल्लेखित समुदायों/व्यक्तियों को छोड़कर, पर्षद को इन नियमों से संलग्न प्रपत्र-1 में पूर्व सूचना देगा।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन दिये गये प्रत्येक आवेदन के साथ फीस के रूप में पर्षद के पक्ष में भुगतये 10000 (दस हजार) रुपये का चैक या डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न होगा।
- (3) पर्षद संबंधित स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों से परामर्श करने के पश्चात् तथा आवेदक तथा अन्य स्त्रांतो से ऐसी अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, आवेदन का, उसकी प्राप्ति से यथासंभव छः मास की कालावधि के भीतर निष्पादित करेगा।
- (4) उप-नियम (3) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन के निष्पादन के क्रम में पर्षद आदेश द्वारा जैवविविधता संरक्षण एवं इसके सतत उपयोग के उद्देश्यों अथवा ऐसे क्रियाकलापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले लाभों के न्यायोचित हिस्सेदारी पर प्रतिकूल अथवा हानिकारक प्रभाव डालने वाले कृत्यों को प्रतिबंधित/वर्जित कर सकेगा:

परन्तु आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ही ऐसा प्रतिकूल आदेश दिया जाएगा।

- (5) जैव संसाधन या पारम्परिक ज्ञान तक पहुँच/संग्रहण, पर्षद के प्राधिकृत अधिकारी तथा आवेदक के बीच हुए लिखित करार द्वारा शासित होगा। करार का प्रपत्र पर्षद द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।
- (6) पहुँच/संग्रहण की शर्तों में, जैव संसाधनों के, जिनके लिये, पहुँच/संग्रहण स्वीकृत किया गया है, संरक्षण तथा सुरक्षा के लिये विशेष रूप से उपाय किये जायेंगे।
- (7) पूर्व जानकारी के लिये उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रपत्र में दी गयी कोई भी सूचना गोपनीय रखी जायेगी एवं उससे असम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को जानबुझकर अथवा अनजाने में प्रकट नहीं किया जायेगा।

20. पहुँच/अनुमोदन का प्रतिसंहरण।—पर्षद निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन या तो किसी शिकायत के आधार पर या स्वप्रेरणा से स्वीकृत की गयी पहुँच को वापस ले सकेगा तथा लिखित करार का निम्न कारणों से प्रतिसंहरण कर सकेगा :—

- (क) इस युक्तियुक्त विश्वास के आधार पर कि जिस व्यक्ति के द्वारा जैव संसाधन तक पहुँच बनाई गयी है उसने अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों या शर्त का उल्लंघन किया है, जिसके आधार पर आवेदन स्वीकृत किया गया था।
- (ख) यदि वह व्यक्ति करार के शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है।
- (ग) पहुँच की किसी भी शर्त का अनुपालन करने में असफल होने पर।
- (घ) जैव विविधता संरक्षण, अधिकारों के संरक्षण, आजीविका एवं स्थानीय समुदायों के ज्ञान के संदर्भ में लोकहित का उल्लंघन करने की स्थिति में।
- (2) प्रतिसंहरण का आदेश प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ही किया जायेगा।
- (3) पर्षद ऐसी प्रतिसंहरण के आदेश की एक प्रति, पहुँच को निषिद्ध करने तथा नुकसान का निर्धारण करने हेतु तथा नुकसान, यदि कोई हो तो उसकी वसूली के लिये कदम उठाने हेतु जैव विविधता प्रबंधन समिति को भेजेगा।

21. जैव संसाधनों तक पहुँच से संबंधित क्रियाकलापों पर निषेध।—पर्षद यदि आवश्यक तथा युक्तियुक्त समझे तो निम्नलिखित कारणों से जैव संसाधनों, जिसमें आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जैव संसाधन सम्मिलित है, तक पहुँच के अनुरोध को प्रतिबंधित या निषेध करने के लिये कदम उठा सकेगा :—

- (1) पहुँच के लिये अनुरोध किसी संकटग्रस्त प्रजाति के लिये हो अथवा उस प्रजाति के लिये हो जो इस तरह की पहुँच से संकटग्रस्त हो सकती हो।
- (2) पहुँच के लिये अनुरोध किसी स्थानीय अथवा दुर्लभ प्रजाति के लिये हो।
- (3) पहुँच के लिये अनुरोध का स्थानीयजनों की आजीविका, संस्कृति या देशज/ज्ञान पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका हो।
- (4) पहुँच के लिये अनुरोध का विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव हो, जिसे नियंत्रित एवं कम करना कठिन हो।
- (5) पहुँच के लिये अनुरोध से आनुवांशिक क्षरण होता हो अथवा पारिस्थितिक तंत्र की क्रिया विधि प्रभावित होती हो।
- (6) संसाधनों तक पहुँच राष्ट्रीय हित तथा देश के द्वारा किये गये अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के विरुद्ध हो।

22. राज्य जैव विविधता निधि का संचालन। —

- (1) राज्य जैव विविधता निधि का संचालन पर्षद के सचिव या इस निमित्त प्राधिकृत पर्षद के किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- (2) राज्य जैव विविधता निधि में दो पृथक लेखा शीर्ष होंगे। एक में केन्द्र सरकार/राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण तथा राज्य सरकार एवं पर्षद द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य स्त्रोतों की प्राप्तियां (अनुदान तथा ऋण) सम्मिलित होंगी तथा दूसरा फीस, अनुज्ञप्ति फीस, रॉयल्टी तथा पर्षद की अन्य प्राप्तियों से संबंधित होगा।
- (3) अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार आवश्यकतानुसार, जैसा कि उचित समझे पर्षद को भुगतान करेगी।
- (4) पर्षद यह सुनिश्चित करने के लिये कि निधि के प्रबंधन एवं उपयोग से संबंधित विनिश्चय पारदर्शी एवं जनता के प्रति जवाबदेह हों, मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित करेगा।

23. वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण।—

- (1) पर्षद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अपने क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण देते हुये अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा तथा राज्य सरकार को प्रपत्र-II में समर्पित करेगा।
- (2) पर्षद के लेखाओं का संधारण एवं अंकेक्षण राज्य के महालेखाकार परामर्श से किया जायेगा। पर्षद वार्षिक अंकेक्षण लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति के साथ आगामी वर्ष के 15 अक्टूबर तक राज्य सरकार को समर्पित करेगा।
- (3) राज्य सरकार पर्षद से प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन को यथा शीघ्र विधान मंडल के समक्ष रखेगा।

24. जैव विविधता विरासत स्थल की स्थापना तथा प्रबंधन। -

- (1) पर्षद स्थानीय निकायों तथा अन्य प्रमुख भागीदारों के परामर्श से महत्वपूर्ण जैव विविधता मूल्यों वाले क्षेत्रों के विरासत स्थलों के रूप में स्थापना को सुगम बनाने हेतु आवश्यक कदम उठायेगा।
- (2) पर्षद की अनुशंसाओं के आधार पर केन्द्र सरकार से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार इस आषय की अधिसूचना जारी करेगी।

25. जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन। -

- (1) प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले निवासियों को सम्मिलित करते हुए एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा जिसका कार्यकाल स्थानीय निकायों के कार्यकाल के समरूप होगा।
- (2) उप-नियम (1) के अधीन गठित की गई जैव विविधता प्रबंधन समितियों में एक अध्यक्ष एवं स्थानीय निकायों द्वारा नामित अधिकतम छः व्यक्ति होंगे जिनमें कम से कम दो महिलायें तथा एक सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति का होगा।
- (3) जैव विविधता प्रबंधन समिति का अध्यक्ष स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में, समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा। मतों के बराबर रहने की स्थिति स्थानीय निकाय के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।
- (4) जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष का कार्य काल समिति के कार्यकाल के समरूप होगा।
- (5) विभिन्न स्तरों पर गठित जैव विविधता समितियों सदस्य के सचिव स्थानीय निकायों के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे -

ग्राम पंचायत	-	पंचायत सचिव
पंचायत समिति	-	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
जिला परिषद्	-	जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
नगर निकाय	-	संबंधित नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
- (6) जैव विविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय जनों के परामर्श से जन जैव विविधता पंजी तैयार करना होगा जिसमें स्थानीय जैव संसाधनों की उपलब्धता तथा उनके ज्ञान या उनके औषधीय और अन्य उपयोग या उनसे संबंधित कोई अन्य पारंपरिक ज्ञान से संबंधित विस्तृत जानकारी होगी।
- (7) जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अन्य कार्य राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा इसे निर्दिष्ट किसी मामले पर अनुमोदनार्थ सलाह देना तथा जैविक स्रोतों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्यों तथा चिकित्सकों से संबंधित आँकड़ा संधारित करना होगा।
- (8) पर्षद जैव विविधता प्रबंधन समिति को जन जैव विविधता पंजी तैयार करने के लिये मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान करेगा तथा जन जैव विविधता पंजी तथा उसके व्यौरों के विस्तृत विवरण हेतु प्रपत्र तैयार करना जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आँकड़ों के लिए प्रपत्र शामिल होगा।
- (9) जैव विविधता प्रबंधन समिति जन जैव विविधता पंजी का संधारण एवं सत्यापन करेगी।
- (10) समिति जैविक संसाधनों तथा पारम्परिक ज्ञान तक प्रदान किये गये पहुँच का विस्तृत विवरण एक पंजी में संधारित करेगी जिसमें अधिरोपित संग्रहण फीस उनसे व्युत्पन्न लाभों, तथा उनके हिस्सेदारी की पद्धति की विस्तृत विवरणी की प्रविष्टि भी सम्मिलित रहेगी।

26. स्थानीय जैव विविधता निधि। -

- (1) अधिनियम की धारा-42, 43 एवं 44 द्वारा गठित एवं विनियोजित स्थानीय जैव विविधता निधि का संचालन जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के मुहर एवं हस्ताक्षर से होगा। निधि के दो पृथक लेखा शीर्ष होंगे, पहला प्राधिकरण, केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा पर्षद से प्राप्ति तथा दूसरा फीस तथा समिति की अन्य प्राप्तियों से संबंधित होगा।
- (2) स्थानीय जैव विविधता निधि से राशि की निकासी संबंधित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी।
- (3) प्रत्येक समिति के लेखा का संधारण एवं अंकेक्षण राज्य के महालेखाकार के परामर्शानुसार किया जायेगा।
- (4) जैव विविधता प्रबंधन समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अपने क्रियाकलापों का सम्पूर्ण विवरण देते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन को प्रपत्र-III में तैयार करेगी।
- (5) समिति अपने वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा की अंकेक्षित विवरणी की प्रति अंकेक्षक के प्रतिवेदन के साथ आगामी वर्ष के 15 अक्टूबर तक पर्षद एवं जिला पदाधिकारी को समर्पित करेगी।

27. विवादों के निपटारे के लिये अपील। -

- (1) यदि किसी आदेश/निदेश या किसी नीतिगत निर्णय को लागू करने के संबंध में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के बीच या जैव विविधता समितिओं एवं स्थानीय निकायों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो व्यथित पक्ष विवाद के निपटारे के लिए इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्रपत्र-IV में पर्षद के समक्ष अपील दायर कर सकेगा।
- (2) यदि जैव विविधता समिति एवं पर्षद के बीच किसी आदेश/निर्देश या नीतिगत निर्णय को लागू करने के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है तो व्यथित पक्ष इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्रपत्र-V में प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा।
- (3) अपील के ज्ञापन में मामले का तथ्य, आवेदक के अपील का आधार तथा राहत अभिकथित रहेगा तथा यथास्थिति उस आदेश निदेश या नीति निर्णय जिसके कारण अपीलार्थी व्यथित हुआ था, की अधिप्रमाणित प्रति या आदेश संलग्न होगा। अपील का ज्ञापन अपीलार्थी अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यथोचित रूप से हस्ताक्षरित होगा।
- (4) अपील का ज्ञापन, चार प्रतियों में, यथास्थिति उस आदेश, निदेश, या नीति निर्णय की अभिप्रमाणित प्रति के साथ जिससे अपीलार्थी व्यथित हुआ था, व्यक्तिगत रूप से या निबंधित डाक से पावती सहित आदेश, निदेश या नीति निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा:
परंतु यदि अपीलीय प्राधिकार का यह समाधान हो जाये कि अपील प्रस्तुत करने में विलंब होने के लिये उचित और पर्याप्त कारण था तो अपीलीय प्राधिकार, कारणों को अभिलिखित करते हुये 30 दिनों की उक्त कालावधि पूरी होने के पश्चात् किंतु यथास्थिति आदेश, निदेश, नीति निर्णय की तारीख से 45 दिन के पहले अपील प्रस्तुत करने के लिये अनुमति प्रदान कर सकेगा।
- (5) अपील की सुनवाई के लिये सूचना (नोटिस) प्रपत्र- (VI) या (VII) में निबंधित डाक द्वारा पावति के साथ दी जायेगी।

**बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विवेक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।**

(नियम 17 (i) देखिए)

जैव विविधता संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग और उससे संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच/संग्रहण करने से पूर्व सूचना का आवेदन प्रपत्र प्रत्येक आवेदक को आवेदन के साथ ₹10000 (दस हजार रुपये) मात्र का पर्षद के पक्ष में निर्गत डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना है।

भाग—'क'

1. आवेदक का पूर्ण विवरण

- (i) नाम :
- (ii) स्थाई पता :
- (iii) आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि/अभिकर्ता (यदि कोई हो) का नाम एवं पता:
- (iv) संगठन का विवरण (आवेदक यदि कोई व्यक्ति हैं तो उस दशा में व्यक्तिगत विवरण)। कृपया अधिप्रमाणन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें :
- (v) कारोबार की प्रकृति :
- (vi) संगठन का भारतीय मुद्रा में उत्पादन क्षमता

2. वांछित पहुँच की प्रकृति और जैव सामग्री तथा पहुँच किए जाने वाले संबद्ध ज्ञान के बारे में ब्यौरे और विनिर्दिष्ट जानकारी।

- (क) जैव संसाधनों और पारंपरिक उपयोग की पहचान (वैज्ञानिक नाम)
 - (ख) बिहार में प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलिक अवस्थिति :
(जिसमें गाँव, प्रखण्ड और जिला सम्मिलित हो)
 - (ग) पारंपरिक ज्ञान का वर्णन और इसके मौजूदा अभिव्यक्तियों और उपयोग (मौखिक/अभिलिखित) के विवरण:
 - (घ) पारंपरिक ज्ञान धारित करने वाला कोई पहचाना गया व्यक्ति/समुदाय :
 - (ङ) संग्रहित किए जाने वाले जैव संसाधनों का परिमाण (अनुसूची दें) :
 - (च) समयावधि जिसमें जैव संसाधनों के संग्रहित किए जाने का प्रस्ताव है :
 - (छ) चयन करने के लिए कंपनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और संख्या :
 - (ज) वह प्रयोजन जिसके लिए पहुँच का अनुरोध किया गया है जिसके अन्तर्गत अनुसंसाधन की प्रक्रिया और विस्तार, व्युत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक उपयोग और उससे व्युत्पन्न किये जाने की संभावना भी हो :
 - (झ) क्या संसाधन के संग्रहण से जैव विविधता के किसी घटक को संकट उत्पन्न हुआ है और वह जोखिम जो पहुँच से उत्पन्न हो सकेगा। :
3. पहुँच किए गए जैव संसाधनों और पारम्परिक ज्ञान के उपयोग से समुदायों को संभावित/अपेक्षित लाभों का आकलन।
4. लाभ की हिस्सेदारी के लिए प्रस्तावित तंत्र और व्यवस्थाएँ।
5. कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत समझी जाएँ।

भाग—'ख'

घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हैं कि—

- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से संसाधनों की पोषणीय उपलब्धता (sustainability) पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से कोई प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से पारिस्थितिकी प्रणाली को कोई जोखिम नहीं होगा;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से स्थानीय समुदायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;
- मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि किसी असत्य/गलत जानकारी के लिए उत्तरदायी हूँगा/होंगे।

स्थान :
तारीख :

हस्ताक्षरित
नाम :
पदनाम :

प्रपत्र-II

(नियम 21 (i) देखें)

बिहार जैव विविधता पर्षद

वित्तीय वर्ष 20..... 20..... का वार्षिक प्रतिवेदन

1. प्रस्तावना :
2. पर्षद का गठन :
3. पर्षद द्वारा समितियों का गठन और गठित समितियों द्वारा बैठक का संचालन :
4. पर्षद की बैठक :
5. पर्षद के कृत्य (अधिनियम की धारा-23 में निर्दिष्ट गतिविधियों के संचालन सहित) को शामिल करना :
6. अभियोजन एवं अभियुक्तों को दी गई सजा का विवरण :
7. पर्षद के वित्त एवं लेखे :
8. विशेषज्ञों एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों का पर्षद का भ्रमण :
9. कोई अन्य विषय जो पर्षद द्वारा क्रियान्वित हो :

प्रपत्र-III

(नियम 24 (iv) देखें)

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला पर्षद/नगरपालिका/नगर निगम

जैव विविधता प्रबंधन समिति

वित्तीय वर्ष 20..... 20..... का वार्षिक प्रतिवेदन

1. प्रस्तावना :
2. BMC का गठन :
3. BMC की बैठक :
4. BMC के कृत्य जिसमें धारा-41 में निर्दिष्ट गतिविधियों के संचालन को शामिल करना :
5. अभियोजन एवं अभियुक्तों को दोषी करार देना :
6. BMC के वित्त एवं लेखे :
7. BMC के विशेषज्ञ, महत्वपूर्ण व्यक्तियों का पर्षद का भ्रमण :
8. कोई अन्य विषय जो पर्षद द्वारा क्रियान्वित हो :

प्रपत्र-IV

(नियम 25 (i) देखें)

अपील के ज्ञापन का प्रपत्र

अध्यक्ष बिहार राज्य जैव विविधता के समक्ष

अपील क्र०20.....

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

.....प्रतिवादी

अपीलार्थी निम्नलिखित तथ्यों और आधारों पर प्रतिवादी द्वारा पारित तारीख के आदेश के विरुद्ध यह अपील ज्ञापन करना चाहता है।

1. तथ्य :

(यहाँ मामले के संक्षेप में तथ्य वर्णित करें)।

2. आधार :

(वे आधार वर्णित करें जिन पर अपील वर्णित की गई है)

(i)

(ii)

(iii)

3. वांछित आदेश/राहत

(i)

(ii)

(iii)

4. प्रार्थना :

(क) आवेदक जो उपर कथन किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए सादर प्रार्थना करता है कि प्रतिवादी के आदेश /विनिश्चय को निरस्त/संशोधित किया जाय।

(ख) प्रतिवादी द्वारा बनायी गई नीति/मार्ग निर्देश/विनियमसीमा तक निरस्त/उपांतरित/निरस्त किये जाएँ

(ग) अन्यान्य

आवेदक का हस्ताक्षर मुहर सहित

स्थान :

तारीख :

घोषणा

मैं, आवेदक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि जो कुछ ऊपर कथन किया गया है मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विष्वास के अनुसार सत्य है।

.....दिनको सत्यापित।

आवेदक के हस्ताक्षर मुहर सहित

पता :

अपीलार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

संलग्नक :

(1) उस आदेश/निदेश/नीति विनिश्चय की अधिप्रमाणित प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

प्रपत्र-V

(नियम 25 (ii) देखीए)

अपील के ज्ञापन का प्रारूप

सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के समक्ष

20.....की अपील सं०

.....अपीलार्थी

.....

..... प्रतिवादी

1. तथ्य :

(यहाँ मामले के संक्षेप में तथ्य वर्णित करें :)

2. आधार :

(वे आधार वर्णित करें जिन पर अपील वर्णित की गई है)

(i)

(ii)

(iii)

3. वांछित आदेश/राहत :

(i)

(ii)

(iii)

4. प्रार्थना :

(क) आवेदक जो ऊपर कथन किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए सादर प्रार्थना करता है कि प्रत्यर्थी के आदेश/विनिश्चय को रद्द/अलग किया जाय।

(ख) प्रत्यर्थी द्वारा बनायी गई नीति/मार्ग निर्देश/विनियम.....सीमा तक रद्द/रूपांतरित/निरस्त किये जाएँ।

(ग)

आवेदक के हस्ताक्षर मुहर सहित

स्थान :

तारीख:

घोषणा

मैं, आवेदक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि जो कुछ ऊपर कथन किया गया है मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

.....दिन को सत्यापित

आवेदक के हस्ताक्षर मुहर सहित

पता :

अपीलार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

संलग्नक :

1. उस आदेश/निदेश/नीति विनिश्चय की अधिप्रमाणित प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

प्रपत्र-VI

(नियम 25 (v) देखीए)

सूचना का प्रपत्र

(पावती रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा)

अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता के समक्ष
(जैसी भी स्थिति हो)

20.....की अपील सं०
.....अपीलार्थी
.....विरुद्ध
.....प्रतिवादी

सूचना

कृपया ध्यान दें कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील आदेश/निदेश/नीति निश्चय (ब्यौरे दें) के विरुद्ध फाइल की गई है। सुनवाई की तारीखमें नियत हुई है।

अपील ज्ञापन की प्रतियाँ और अपील के साथ फाइल किए गए अन्य उपबन्ध आपके निर्देश के लिए भेजे जाते हैं।

कृपया ध्यान दें कि आप उक्त तारीख को या अपील की सुनवाई की अन्य प्रस्तावित तारीख को उपस्थित होने में असफल होते हैं तो अपील का निपटारा अंतिम रूप से एक पक्षीय मानकर कर दिया जायेगा।

तारीख
स्थान

अपील प्राधिकारी की ओर से
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(मुहर)

प्रपत्र-VII

(नियम 25 (v) देखीए)

सूचना का प्रपत्र

(पावती रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा)

सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के समक्ष

अपील क्र०20.....
के बीच
.....अपीलार्थी
.....विरुद्ध
.....प्रतिवादी

सूचना

कृपया ध्यान दें कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील आदेश/निदेश/नीति निश्चयन (ब्यौरे दें) के विरुद्ध फाइल की गई है। सुनवाई की तारीखमें नियत हुई।

अपील ज्ञापन की प्रतियाँ और अपील के साथ फाइल किए गए अन्य उपाबंध आपके निर्देश के लिए भेजे जाते हैं।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप उक्त तारीख को या अपील की सुनवाई की अन्य प्रस्तावित तारीख को उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो अपील का निपटारा अंतिम रूप से एक पक्षीय मानकर कर दिया जायेगा।

तारीख
स्थान

अपील प्राधिकारी की ओर से
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(मुहर)

The 27th March 2017

No. 2/Van prani-14/16-188(E)—In exercise of the powers conferred by Section 63 of the Biological Diversity Act, 2002, (Act 18 of 2003) the Government of Bihar hereby makes the following rules, :-

Bihar Biological Diversity Rules, 2017

1. Short title extent and commencement.—(1) These rules may be called “Bihar Biological Diversity Rules, 2017”.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as may be notified by the Government

2. Definitions.— *In these rules, unless otherwise requires in the context -*

(1) “Act” means the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003);

(2) “Authority” means the National Biodiversity Authority established under sub-section (1) of section 8 of the Act.

(3) “Board” means the Bihar State Biodiversity Board established under section 22 of the Act.

(4) “Committee” means a Biodiversity Management Committee established by a local body under section 41 of the Act;

(5) “Chairperson” means the chairperson of “Bihar State Biodiversity Board”;

(6) “Fee” means any fee stipulated in the Schedule;

(7) “Form” means form annexed to these rules;

(8) “Government” means the Government of Bihar;

(9) “Member” means a member of the Bihar State Biodiversity Board”; and includes Chairperson;

(10) Secretary means the Secretary of the Board;

(11) “Rule” means a rule of these rule;

Words and expressions used but not defined in these Rules and defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Constitution of State Biodiversity Board.— *Board shall consist of the following members:-*

(a) Chairperson

(b) Not more than five Ex-officio members to be appointed by State Government.

(c) Not more than five members to be appointed from amongst experts in biological diversity.

4. Procedure of selection and appointment of the Chairperson.—

(1) The Chairperson of the Board shall be appointed by the State Government.

(2) Appointment of Chairperson under sub-rule (1) of this rule shall be made by the State Government in accordance with section 22 (4) (a) of the Act either on deputation basis or by selection. Provided that if the appointment is made on deputation, such candidate shall not be below the rank of the Principal Secretary, Government of Bihar.

(3) Appointment of any person to the post of the Chairman by selection from outside the Govt. service will be made by the selection committee headed by the Chief Secretary, members of which will be the Principal Secretary/Secretary, Environment & Forests and Principal Chief Conservator of Forest (HoFF).

5. Term of office of the Chairperson.—

(1) The Chairperson of the Board shall hold office for a term of three years and shall be eligible for re-appointment, provided that no person shall hold office of the Chairperson after the age of sixty-five years or expiry of his/her term of office which ever is earlier.

(2) The Chairperson may resign his office by giving at least one-month prior notice in writing to the State Government.

6. Pay and allowances of chairperson.— The Chairperson shall be entitled to all such salary, allowances, leave, pension, provident fund, house allowance and other perquisites as may be decided by State Government from time to time.

7. Appointment, term of office and allowances of non-government members.—

- (1) The Government shall nominate not more than five experts non-government members having Expert knowledge and experience in respective subjects in accordance with section 22 (4) (a) of the Act.
- (2) Every non-government member of the Board shall hold office for a term not exceeding three years at a time from the date of his nomination.
- (3) Every non-government member attending the meeting of the Board shall be entitled to sitting allowance, travelling expenses, daily allowance and such other allowances as may be fixed by the Government.

8. Filling up of vacancies of non-government members.—

- (1) A non-government member of the Board may resign his post at any time by giving in writing the resignation (under his hand) addressed to the Government and the seat of that member in the Board shall become vacant.
- (2) A casual vacancy of a non-government member in the Board shall be filled up by a fresh nomination and the person nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remaining period of the term of the member in place of whom he is nominated.

9. Removal of the members of the Board.— A member of the Board may be removed by the government from his office on any ground specified in section 11 of the Act after issuing show cause notice and giving such member a reasonable opportunity of being heard.

10. Appointment of the Ex-officio members of the Board.—Not more than five official from the following departments/organizations shall be appointed as ex-officio members by the State Government for so long as they hold office:

- (1) Agriculture Department, Bihar (Principal Secretary/Secretary) ;
- (2) Department of Environment and Forests, Bihar (Principal Secretary/ Secretary) ;
- (3) Animal & Fisheries Resources Department, Bihar (Principal Secretary/ Secretary);
- (4) Water Resources Department, Bihar (Principal Secretary/ Secretary);
- (5) PCCF (HoFF), Bihar:

Provided that ex-officio members may nominate such subordinate officers to represent them in the meeting of the Board who shall not be below the rank of Joint Secretary.

11. Secretary.— The Secretary of the Board Shall be an officer not below the rank of Conservator of Forests who may be appointed on deputation by the State Government.

12. Head Quarter of the Board.—The Head Quarter of the Board shall be in Patna.

13. Functions and Responsibility of Secretary of the Board. –

- (1) The Secretary shall be responsible for management of funds and implementation of various activities under the guidance of the Chairperson.
- (2) All orders or instructions to be issued by the Board shall be under the signature of Secretary or any officer authorized for this purpose by the Board.
- (3) The Secretary either himself or through any officer authorised for this purpose. may, after obtaining sanction of the Board disburse payments from the approved budget.
- (4) The Secretary shall have the powers to give technical sanctions of estimates included in the budget of the Board.
- (5) The Secretary shall be in charge of all the confidential papers of the Board and shall be responsible for their safe custody. He shall produce such papers whenever so directed by the Board/ Government.

- (6) The Secretary shall write and maintain confidential report of the officers and employees of the Board and shall get them countersigned by the Chairperson.
- (7) The Secretary shall exercise such other powers and perform such other functions, as may be delegated to him, from time to time, by the Board.

14. Meetings of the Board. –

- (1) The Board shall meet at least four times in a year normally after a period of three months at the head quarters of the Board or at such places as may be decided by the Chairperson.
- (2) The Chairperson shall, upon a written request from not less than five members of the Board or upon a direction of the State Government, call a special meeting of the Board.
- (3) The members shall be given at least fifteen days notice for holding an ordinary meeting and at least three days notice for holding a special meeting specifying the purpose, the time and the place at which such meeting is to be held.
- (4) Every meeting shall be presided over by the Chairperson and in his absence, by a presiding officer elected by the members present in the meeting.
- (5) The decision of the Board at a meeting shall, if necessary, be taken by a simple majority of the members present and voting and the Chairperson or in his absence, the member presiding shall have a second or casting vote.
- (6) Each Member shall have one vote.
- (7) The quorum at every meeting of the Board shall be present with the Presence of five members including the chairperson or the presiding member.
- (8) No member shall be eligible to bring forward any matter for the consideration in the meeting of which he has not given ten days' notice unless the Chairperson in his discretion permits him to do so.
- (9) Notice of the meeting may be given to the members by delivering the same by message or sending it by registered post or email to his last known place of residence or business or in such other manner as the Secretary of the Board may, in the circumstances of the case, think fit.
- (10) In addition, the Board may evolve such other procedure for the transaction of business as it may deem fit and proper.

15. Appointment of expert Committee by the Board and their entitlements. –

- (1) The Board may constitute any number of Committees, for such purposes as it may deem fit, consisting wholly of the members or wholly of other persons or partly of the members or partly of other persons.
- (2) The non-government Members of the Committee other than the members of the Board shall be paid such fees and allowances for attending the meetings as the Government may deem fit.

16. General functions of the Board.— Particularly and without prejudice to the generality of other provisions, the Board may perform the following functions: –

- (1) To Lay down the procedure and guidelines to govern the activities provided under section 23 of the Act;
- (2) to advise the State Government on any matter concerning genetically modified crops or any other genetically modified bio resource, conservation of biodiversity, sustainable use of its components and fair and equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resource and knowledge;
- (3) to regulate by granting of approvals or otherwise requests for commercial utilization or bio-survey and bio-utilization of any biological resource including genetically modified one by Indian nationals;
- (4) to provide technical assistance and guidance to the departments of the State Government and the Biodiversity Management Committees (BMCs);
- (5) to facilitate updating and implementation of State Bio-diversity Conservation Strategy and Action Plan;

- (6) to initiate studies and to sponsor investigations and research;
- (7) to appoint consultants, for a specific period, not exceeding three years, for providing technical assistance to the Board in the effective discharge of its functions:

provided that if it is necessary and expedient to appoint any consultant for more than the period of three years, the Board shall obtain prior approval of the Government for such appointment;
- (8) to collect, compile and publish technical and statistical datas, directories, codes or guidelines relating to conservation of biodiversity, sustainable use of its components and proper and justified partnership of benefits arising out of the use of biological resources and knowledge;
- (9) to organise a wide programme through mass media a comprehensive programme regarding conservation of biodiversity, sustainable use of its components and proper and justified Participation of benefits arising out of the use of biological resource and knowledge;
- (10) to plan and organize training of personnel employed or likely to be employed in programmes for the conservation and biodiversity and sustainable use of its components;
- (11) to take steps to build up data base and to create information and documentation system for biological resources and associated traditional knowledge through biodiversity registers and electronic data bases, to ensure effective management, promotion and sustainable uses;
- (12) to give direction to the local bodies/ Biodiversity Management Committees in writing for effective implementation of the Act;
- (13) to report to the State Government about the functioning of the Board and implementations of the Provision of the Act and the Rules made there under;
- (14) to establish such process to ensure protection of rights and it includes intellectual property rights over biological resources and associate knowledge, systems of maintaining confidentiality of such information as appropriate, the protection of the information recorded in People's Biodiversity Registers also;
- (15) to recommend/ prescribe, modify collection of fee of biological resources from time to time;
- (16) to sanction grants-in-aid and grants to Biodiversity Management Committees for specific purposes;
- (17) to undertake physical inspection of any area in respect of the implementation of the provisions of the Act;
- (18) to prepare the annual budget of the Board incorporating its own receipts as also the devolution from the State and Central Government:

provided that the allocation by the Central Government shall be operated in accordance with the budget provisions as approved by the Central Government;
- (19) The Board shall have full powers to grant technical and administrative sanction to all the estimates. It may, however, delegate such administrative and technical sanctioning powers to the Member- Secretary of the Board as it may be deemed necessary.
- (20) to recommend for creation of posts to the State Government for effective discharge of the functions by the Board:

Provided that no such post whether permanent/temporary or of any nature, would be created without prior approval of the State Government;
- (21) to perform such other functions as it may be required to give effect to provisions of the Act or as it may be assigned or directed by the state government from time to time;
- (22) To acquire, hold and dispose off property, both movable and immovable and enter into contract for the same.

17. Powers and duties of Chairperson.—

- (1) The Chairperson shall ensure that the affairs of the Board are run efficiently and in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder.
- (2) The Chairperson shall have administrative control over the officers and staff of the Board and he may issue necessary directions for the conduct and management of affairs of the Board.
- (3) The Chairperson shall convene and preside over all the meetings of the Board and shall ensure that all decisions taken by the Board are implemented in proper manner.
- (4) The Chairperson shall exercise such powers and perform such other functions as may be delegated to him, from time to time, by the Board.

18. Regulation of terms and conditions of service of officials/Staff of the Board.—

- (1) The terms and conditions of service of officers /Staff of the Board shall be similar to service conditions and pay scale of the officers/ Staff of the State Government and, the appointments shall generally be made on deputation or on contract basis, unless otherwise determined by the state government.
- (2) The Board shall determine the procedure of appointment and promotion etc. of its officers/staff.

19. Procedure for access to and/or for obtaining biological resources and associated traditional knowledge.—

- (1) Any person intending to obtain any biological resources and associated knowledge for research or for commercial utilization, with the exception of those in proviso to section 7 of the Act, shall give prior intimation to the Board making an application in Form I.
- (2) Every application given under sub-rule (1) shall be accompanied by a fee of Rs. 10000/- (Ten thousand rupees only) in the form of cheque or demand draft payable in favour of the Board.
- (3) The Board shall, after consultation with the concerned local Biodiversity Management Committee and on collection of such additional information from the applicant and other sources, as it may deem necessary, dispose of the application, as far as possible, within a period of six months from the date of receipts.
- (4) While disposing the application under sub-rule (3) the Board may, by order, prohibit or restrict any activity deemed detrimental or contrary to the objectives of conservation and sustainable use of biodiversity or Justified of benefits arising out of such activity:

Provided that such adverse order shall be made after giving an opportunity of being heard to the applicant.

- (5) A written agreement duly signed by an authorized officer of the Board and the applicant shall govern the access to /collection of biological resources or traditional knowledge. The form of the agreement shall be decided by the Board.
- (6) The conditions for access to/collection may specifically provide measures for conservation and protection of biological resources to which the access to/collection is being granted.
- (7) Any information given in the form referred to in the sub-rule (1) for prior intimation shall be kept confidential and shall not be disclosed, either intentionally or unintentionally, to any person not concerned thereto.

20. Revocation of access or approval.—

- (1) The Board may either on the basis of any complaint or suo moto withdraw the access granted and revoke the written agreement under the following conditions:-
 - (a) On the basis of reasonable belief that the person accessing the said bio-resource has violated any of the provisions of the Act or the condition on which the approval was granted;
 - (b) When the person has failed to comply with the terms of the agreement;

- (c) On failure to comply with any of the conditions of access;
 - (d) In case violation of public interest with respect to protection and conservation of biological diversity, and protection of the rights, livelihoods, and knowledge of local communities.
- (2) The revocation order shall be made only after making such inquiries as it may be required after giving the person so affected an opportunity of being heard.
 - (3) The Board shall send a copy of such revocation order to the biodiversity Management Committees for prohibiting the access and also to assess the damage, if any, caused and take steps to recover the damage.

21. Restriction of activities relating to access to biological resources.— The Board if it deems necessary and appropriate, shall take steps to restrict or prohibit the request for access to biological resources including genetically modified resource for the following reasons:-

- (1) The request for access is for any endangered taxa, or taxa that is likely to become threatened due to such access;
- (2) The request for access is for any endemic and rare species;
- (3) The request for access may likely to result in adverse effect on the livelihoods, culture or indigenous knowledge of the local people;
- (4) The request to access may result in adverse environment impact which may be difficult to control and mitigate;
- (5) The request for access may cause genetic erosion or affecting the ecosystem function;
- (6) Use of resources for purposes contrary to national interest and other related international agreement entered into by the country.

22. Operation of State Biodiversity Fund.—

- (1) The State Bio-diversity Fund shall be operated by the Secretary or by such any other officer of the Board as may be authorized by the Board in this regard.
- (2) The State Bio-diversity Fund shall have two separate heads of accounts, one relating to the receipts (grants and loans) from the Central Government/National Bio-diversity Authority and State Government including receipts from such other sources as decided by the Board and the other concerning the fee, license, royalty and other receipts of the Board.
- (3) The State Government may pay the Board such sum of money as it deems necessary for implementation of provisions under the Act.
- (4) The Board shall frame guidelines to ensure that decisions regarding the management and use of the fund are transparent and accountable to the public.

23. Annual Report and Annual Statement of Accounts.—

- (1) The Board shall prepare its annual report for each financial year giving details of its activities and annual statement of accounts and submit the same to the State Government in Form-II.
- (2) The accounts of the Board shall be maintained and audited, in consultation with the Accountant General of the State. The Board shall submit a copy of the annual audited account together with auditor's report thereon to the State Government by October 15th of the following year.
- (3) The State Government shall lay down the annual report together with the auditor's report before the State Legislature, as soon as possible, after the receipt of same from the Board.

24. Establishment and Management of Biodiversity Heritage Sites.—

- (1) The Board shall, in consultation with the local bodies and other key stakeholders, take necessary steps to facilitate setting up of areas of significant bio-diversity values as Heritage Sites.
- (2) On the basis of recommendation of the Board and after consultation with the Central Government, the State Government shall issue notification to this effect.

25. Constitution of Biodiversity Management Committees.—

- (1) Every local Body shall constitute a Biodiversity Management Committee (BMC) consisting of persons residing within its area of jurisdiction for a tenure co-terminus with the tenure of the local Body.
- (2) The Biodiversity Management Committee as constituted under sub-rule (1) shall consist of a Chairperson and not more than six persons nominated by the local body, of whom not less than two should be women and at least one should belong to the scheduled castes/scheduled tribes.
- (3) The chairperson of the Biodiversity Management Committee shall be elected from amongst the members of the committee in a meeting to be chaired by the chairperson of the local body. The chairperson of the local body shall have right to casting vote in case of equal votes.
- (4) Tenure of the Chairperson of the Biodiversity Management Committee (BMC) shall be co-terminus with the tenure of the committee.
- (5) The following officers of the local bodies shall be the Member- Secretaries of respective Biodiversity Management Committee:-

Gram Panchayat	-	Panchayat Secretary
Panchayath Samiti	-	Block Development Officer
Zila Parshad	-	Chief Executive Officer of Zila Parshad
Municipal Body	-	Chief Executive officer of the concerned Municipal Body
- (6) The Main function of Biodiversity Management Committee is to prepare People's Biodiversity Register in consultation with the local people. The Register shall contain comprehensive information on availability and knowledge of local biological resources, their medicinal or any other use or any other traditional knowledge associated with them.
- (7) The other functions of the BMC are to advise on any matter referred to it by the State Biodiversity Board for granting approval, to maintain data about the local Vaidyas and practitioners using the biological resources.
- (8) The Board shall provide guidance and technical supports to the Biodiversity Management Committees for preparing People's Biodiversity Registers and take steps to specify the form of the People's Biodiversity Registers, and the particulars in which the format for electronic database shall be included.
- (9) The People's Biodiversity Registers shall be maintained and verified by the Biodiversity Management Committees.
- (10) The Committee shall maintain the detail statement of access given to biological resources and traditional knowledge in a Register in which, details of the collection imposed fee and detail statement of the benefits derived and the method of their sharing will be included.

26. Local Biodiversity Funds.—

- (1) The local Biodiversity Fund constituted and applied as under section 42,43, 44 of the Act shall be operated under the seal and signature of the Chairperson of the respective Biodiversity Management Committee. The Fund shall have separate heads of accounts, one relating to receipts from the Authority, Government (Central and state) and the Board and the other concerning fees and other receipts of Biodiversity Management Committee.
- (2) Withdrawal of Amount from the local Biodiversity fund shall be made by joint signatures of the Chairman and the member-Secretary of the respective Biodiversity Management Committee.
- (3) The accounts of each Committee shall be maintained and audited, in consultation with the Accountant General of the State.
- (4) The Biodiversity Management Committee shall prepare its annual report of activities for each financial year in Form-III.

- (5) The Biodiversity Management Committee shall submit the Annual Report and copy of Audited Statement of Accounts together with a copy of Auditor's Report to the Board and District Magistrate by 15th of October in the following year.

27. Appeal for settlement of disputes.—

- (1) If a dispute arises between Biodiversity Management Committees, or between the Biodiversity Management Committees and local bodies on account of implementation of any order / direction or on any issue of policy decision the aggrieved party may prefer an appeal in Form-IV appended to these rules to the Board.
- (2) If a dispute arises between a BMC and the Board on account of implementation of any order/direction or on any issue of policy decision, the aggrieved party may prefer an appeal in Form-V appended to these rules to the Principal Secretary/Secretary, Environment and Forest Department, Government of Bihar.
- (3) The Memorandum of appeal shall state the facts of the case, the grounds relied upon by the appellant and the relief sought for, for preferring the appeal and shall be accompanied by an authenticated copy of the order, direction or policy decision, as the case may be, by which the appellant is aggrieved. The memorandum of appeal shall be duly signed by the appellant or authorized representative of the appellant.
- (4) The memorandum of appeal shall be submitted in quadruplicate, accompanied with the authenticated copy of the order, directions or policy decisions as the case may be, by which the appellant is aggrieved, either in person or through a registered post with acknowledgment due, within 30 days from the date of the orders, direction or policy decision:-

Provided that if the Appellate Authority is satisfied that there was proper and sufficient reason for the delay in preferring the appeal, the Appellate Authority, for reasons to be recorded in writing, may allow the appeal preferred after the expiry of the aforesaid period of thirty days but before the expiry of 45 days from the date of the orders, direction or policy decision, as the case may be.

- (5) The notice for hearing of the appeal shall be given in form (VI) or Form (VII) by a registered post with an acknowledgement due.

**By order of the Governor of Bihar,
VIVEK KUMAR SINGH,
Principal Secretary to the Government.**

SCHEDULE**FORM 1**

(See rule 17 (i))

Application form for prior intimation to access/ collection of Biological resources for commercial utilization and associated traditional knowledge.

(Every application shall be accompanied by a fee of Rs 10000 (Rupees Ten Thousand Only) as D/D drawn in favour of the Board)

PART A**1. Full particulars of the applicant .—**

- (i) Name:
- (ii) Permanent address :
- (iii) Name & Address of the authorized person / agent if any, of the applicant:
- (iv) Profile of the organization (Personal profile in case the if applicant is an individual). Please attach relevant documents of authentication:
- (v) Nature of business:
- (vi) Turnover of the organization in Rupees:
(Please enclose a copy of balance sheet)

2. Details and specific information about nature of access sought and biological material and associated knowledge to be accessed.—

- (a) Identification (Scientific name) of biological resources and its traditional use :
- (b) Geographical location (including village, block and district) of proposed collection in Bihar:
- (c) Description/nature of traditional knowledge and its existing manifestations and uses (Oral/documented):
- (d) Any identified individual / community holding the traditional knowledge:
- (e) Quantity of biological resources to be collected (Give the schedule):
- (f) Time span in which the biological resources is proposed to be collected:
- (g) Name and number of person authorized by the company for making the selection:
- (h) The purpose for which the access is requested including the type and extent of research, commercial use being derived and expected to be derived from it:
- (i) Whether any collection of the resource endangers any component of biological diversity and the risks which may arise from the access.

3. Estimation of benefits that would flow to communities arising out of the use of accessed bio-resources and traditional knowledge.

4. Proposed mechanism and arrangements for benefit sharing.
5. Any other information considered relevant.

PART B**DECLARATION**

I/We declare that:

- Collection of proposed biological resources shall not adversely affect the sustainability of the resources;
- Collection of proposed biological resources shall not entail any environmental impact;
- Collection of proposed biological resources shall not pose any risk to ecosystems;
- Collection of proposed biological resources shall not adversely affect the local communities;
- I/We further declare that the information provided in the application form is true and correct and I/We shall be responsible for any incorrect/wrong information.

Place:

Date:

Signed

Name

Title /Designation.....

FORM II

{See rule 21 (i)}

**Bihar State Biodiversity Board
Annual report for the financial year 20.....**

1. Introduction
2. Constitution of the Board
3. Constitution of the Committees by the Board and meetings of the committees constituted by it
4. Meetings of the Board
5. Activities of the Board including the various functions performed under Section 23 of the Act
6. Prosecutions launched and convictions secured
7. Finance and Accounts of the Board
8. Visits of experts, important persons etc to the Board
9. Any other important matter dealt with by the Board

FORM III

{See rule 24 (iv)}

**Gram Panchayat/ Panchayat Samiti/ Zilla Parshad/ Municipality/Corporation
Biodiversity Management Committee
Annual report for the financial year 20.....**

1. Introduction
2. Constitution of the BMC
3. Meetings of the BMC
4. Activities of the BMC including the various functions performed under Section 41 of the Act
5. Prosecutions launched and convictions secured
6. Finance and Accounts of the BMC
7. Visits of experts, important persons etc to the BMC
8. Any other important matter dealt with by the BMC

FORM IV
[See rule 25(i)]
FORM OF MEMORANDUM OF APPEAL

Before the Chairman, Bihar State Biodiversity Board

Appeal No. of 20.....

.....Appellant (s)

vs

.....Respondent(s)

The appellant begs to prefer this Memorandum of Appeal against the order dated passed by the respondent on the following facts and grounds:

1. Facts :

(Here briefly mention the facts of the case):

2. Grounds

(Here mention the grounds on which the appeal is made):

(i)

(ii)

(iii)

3. Relief sought:

(i)

(ii)

(iii)

4. Prayer:

(a) In the light of what is stated above, the appellant respectfully prays that the order/decision of the respondent be quashed/set-aside.

(b) The policy / guidelines / regulation framed by the respondent be quashed / modified / annulled to the extent

(c)

Place:

.....

Date:

**Signature of the Appellant with Seal
Address:**

VERIFICATION

Enclosures:

1. Authenticated copy of the order / direction / policy decision, against which the appeal has been preferred.

I, the appellant do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified on day of

.....
Signature of the Appellant with Seal Address:

.....
**Signature of the Authorized representative of
the Appellant :**

FORM V

[See rule 25 (ii)]

FORM OF MEMORANDUM OF APPEAL

**Before the Secretary, Department of Environment and Forests, Government of Bihar
(Memorandum of Appeal)**

Appeal No. of 20.....

..... Appellant (s)

vs

.....Respondent(s)

The appellant begs to prefer this Memorandum of Appeal against the order dated passed by the respondent on the following facts and grounds:

1. Facts :

(Here briefly mention the facts of the case):

2. Grounds

(Here mention the grounds on which the appeal is made):

(i)

(ii)

(iii)

3. Relief sought:

(i)

(ii)

(iii)

4. Prayer:

(a) In the light of what is stated above, the appellant respectfully prays that the order/decision of the respondent be quashed/set-aside.

(b) The policy / guidelines / regulation framed by the respondent be quashed / modified / annulled to the extent

(c)

Place:

Date:

.....
**Signature of the Appellant with Seal
Address:**

VERIFICATION

Enclosures:

1. Authenticated copy of the order / direction / policy decision, against which the appeal has been preferred.

I, the appellant do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified on day of

.....
Signature of the Appellant with Seal Address:

.....
**Signature of the Authorized representative of
the Appellant :**

FORM VI**Form of Notice**

[See rule 25 (v)]

(By Registered Post with Acknowledgement)

Before the Chairman, Bihar State Biodiversity Board,

Appeal No. of 20.....

Between:

.....Appellant(s)

Versus

.....Respondent(s)

NOTICE

Please take notice that the above appeal filed by the appellant, against the order/direction/policy decision (give details) is fixed for hearing on at

The copies of the appeal memorandum and other annexure filed along with the appeal are sent herewith for your reference.

Please note that if you fail to appear on the said date of other subsequent date of hearing of the appeal, the appeal would be disposed of finally by placing you *ex parte*.

.....

Place: Authorised signatory on behalf of the Appellant Authority**Date:****(Seal)**

FORM VII**Form of Notice**

[See rule 25(v)]

(By Registered Post with Acknowledgement)

**Before the Secretary/Principal Secretary Department of Environment & Forests,
Government of Bihar**

Appeal No. of 20.....

Between:

.....Appellant(s)

Versus

.....Respondent(s)

NOTICE

Please take notice that the above appeal filed by the appellant, against the order/direction/policy decision (give details) is fixed for hearing on at

The copies of the appeal memorandum and other annexure filed alongwith the appeal are sent herewith for your reference.

Please note that if you fail to appear on the said date of other subsequent date of hearing of the appeal, the appeal would be disposed of finally by placing you *ex parte*.

.....

Place: Authorised signatory on behalf of the Appellant Authority**Date: (Seal)**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 252-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>